(3)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/68/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री प्रशांत राव निवासी–फ्लैट–ए 9, मैट्रो एनक्लेव, पुष्पा विहार, प्रेस एनक्लेव रोड, नई दिल्ली–17		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः **15.05.2018**

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 13.02.2018 के माध्यम से पूर्व में प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांकः 18.09.17 के संबंध में गलत सूचना उपलब्ध कराने के कारण 04 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने की उपखण्ड अधिकारी बहरोड से वांछा की गई थी।
4. आवेदक को उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 13.02.18 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 10.04.18 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2018/2071–72 दिनांकः 23.04.18 के माध्यम तलब कर दिनांकः 01.05.2018 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
6. अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से उक्त दिनांक को कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
7. प्रत्यर्थी पक्ष को पुनः जरिये नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.द्वितीय/आर.टी.आई. अपील/2018/2146–47 दिनांकः 01.05.18 के माध्यम तलब कर जवाब नोटिस के साथ दिनांकः 08.05.18 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त दिनांक को प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जरिये पत्रांकः 248 दिनांकः 07.05.2018 के जवाब नोटिस प्राप्त हुआ। जिसे अभिलेख पर लिया गया।
8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पूर्व में प्रस्तुत आवेदन दिनांकः 18.09.17 के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्रांकः 51 दिनांकः 16.01.2018 के माध्यम से बिन्दुवार विनिश्चय कर अवगत कराया जा चुका है। उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्रांकः 247 दिनांकः 07.05.18 के माध्यम से पुनः सूचना प्रेषित की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अधिनियम अंतर्गत पुनः प्रार्थना–पत्र दिनांकः 13.02.18 प्रस्तुत कर पूर्व में प्रेषित सूचना के सही एवं वांछित सूचना नहीं होने के कारण उचित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

9. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब का परीक्षण किया। जिसके अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना पूर्ण व पर्याप्त है। यहॉ अपीलार्थी यह साबित नहीं कर पाए कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना किस प्रकार अपूर्ण व गलत है ! उक्त के अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना पर आक्षेप कर बार–बार प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सूचना की वांछा किया जाना न्यायोचित नहीं है।
10. यहॉ यह उल्लेखनीय है कि लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना के गलत/सही होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। लोक सूचना अधिकारी उसके क्षेत्राधिकार में उपलब्ध सूचना को लोकहित में जाहिर करने के लिए बाध्य है। काल्पनिक प्रश्नों के आधार पर सूचना तैयार किया जाना "सूचना" ना होकर "जॉच" की विषयवस्तु है जो उक्त अधिनियम की परिधि से परे है।
11. अस्तु उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।
12. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
13. निर्णय घोषित ।

(बनवारीलाल रमण)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)